

सिविल सर्जन कार्यालय, गिरिडीह।

STAFF NURSH (NBSU) के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा एवं के लिए प्रवेश पत्र

क्रमांक : 06001

आवेदन पत्र संख्या : 03

आवेदक का नाम : कुमारी ममता वर्मा

पिता/पति का नाम : भूपाल महतो

जन्म तिथि : 10.10.1991

पत्राचार का पता : कुमारी ममता वर्मा पिता-भूपाल महतो ग्राम-लेदासिमर
पो-बदडीहा थाना-हिरोडीह, जिला-गिरिडीह,
पिन-825412 (झारखण्ड)

स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकाएं

लिखित परीक्षा की तिथि: 30.12.2018, समय : 11:30 AM to 12:30 PM

परीक्षा केन्द्र : सर जे0सी0बोस बालिका उच्च विद्यालय, गिरिडीह

निर्गत करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(सिविल सर्जन, गिरिडीह)

आवेदक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थियों के लिए मार्गनिर्देश/सामान्य जानकारी :-

1. परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी।
2. प्रवेश पत्र में अंकित क्रमांक के अनुसार परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के बैठने के लिए सीट आवंटित रहेगी। जहां उनका क्रमांक अंकित रहेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार उन्हें परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करना है।
3. नियत समय से 30 मिनट विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।
4. प्रश्न पत्र वितरण के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थी अपना उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर सकेंगे।
5. परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ के एक घंटे के भीतर अल्प काल के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जायेगा।
6. स्कील टेस्ट/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र को परीक्षा केन्द्र में साथ लाना अनिवार्य होगा एवं परीक्षा के बाद भी उसे सुरक्षित रखेंगे, साथ ही अपने मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड मूल में लाना सुनिश्चित करेंगे।
8. कैलकुलेटर, मोबाईल फोन एवं इलैक्ट्रॉनिक के सामान को साथ में लाना वर्जित एवं दण्डनीय है।
9. परीक्षा केन्द्र से एक बार बाहर हो जाने पर परीक्षार्थी को पुनः नहीं आने दिया जायेगा।
10. परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक को सौंपेंगे, किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिका डेस्क पर न छोड़ी जाय या न ही उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकाली जाय। उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना और जमा नहीं करना कदाचार माना जायेगा।
11. अभ्यर्थी उपस्थिति पत्र में अपना हस्ताक्षर करेंगे।
12. परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गये परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिये जायेंगे। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों का एक दूसरे से बातचीत करना वर्जित है। कदाचार में लिप्त परीक्षार्थी पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
13. मात्र प्रवेश पत्र का निर्गत होना परीक्षार्थी के पात्रता को सम्पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं करता है। भविष्य में पात्रता के योग्य नहीं पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।
14. अभ्यर्थी अपने साथ स्वअभिप्रमाणित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं मूल प्रति साथ लायेंगे।

सिविल सर्जन कार्यालय, गिरिडीह।

STAFF NURSH (NBSU) के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र

क्रमांक : 06002

आवेदन पत्र संख्या : 06

आवेदक का नाम : संदीप कुमार वर्मा

पिता/पति का नाम : लखन प्रसाद वर्मा

जन्म तिथि : 18.05.1996

पत्राचार का पता : ग्राम-लेढासिमर पा-बदडीहा-। ब्लॉक-जमुआ
थाना-हिरोडीह जिला-गिरिडीह झारखण्ड पिन-825412

स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकाएं

लिखित परीक्षा की तिथि: 30.12.2018, समय : 11:30 AM to 12:30 PM

परीक्षा केन्द्र : सर जे0सी0बोस बालिका उच्च विद्यालय, गिरिडीह

निर्गत करने वाले प्रिदाधिकारी का हस्ताक्षर
(सिविल सर्जन, गिरिडीह)

आवेदक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थियों के लिए मार्गनिर्देश/सामान्य जानकारी :-

1. परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी।
2. प्रवेश पत्र में अंकित क्रमांक के अनुसार परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के बैठने के लिए सीट आवंटित रहेगी! जहां उनका क्रमांक अंकित रहेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार उन्हें परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करना है।
3. नियत समय से 30 मिनट विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।
4. प्रश्न पत्र वितरण के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थी अपना उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर सकेंगे।
5. परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ के एक घंटे के भीतर अल्प काल के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जायेगा।
6. स्कील टेस्ट/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र को परीक्षा केन्द्र में साथ लाना अनिवार्य होगा एवं परीक्षा के बाद भी उसे सुरक्षित रखेंगे, साथ ही अपने मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड मूल में लाना सुनिश्चित करेंगे।
8. केलकुलेटर, मोबाईल फोन एवं इलैक्ट्रॉनिक के सामान को साथ में लाना वर्जित एवं दण्डनीय है।
9. परीक्षा केन्द्र से एक बार बाहर हो जाने पर परीक्षार्थी को पुनः नहीं आने दिया जायेगा।
10. परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक को सौंपेंगे, किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिका डेस्क पर न छोड़ी जाय या न ही उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकाली जाय। उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना और जमा नहीं करना कदाचार माना जायेगा।
11. अभ्यर्थी उपस्थिति पत्र में अपना हस्ताक्षर करेंगे।
12. परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गये परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिये जायेंगे। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों का एक दूसरे से बातचीत करना वर्जित है। कदाचार में लिप्त परीक्षार्थी पर कानूनी कर्तव्य की जायेगी।
13. मात्र प्रवेश पत्र का निर्गत होना परीक्षार्थी के पात्रता को सम्पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं करता है। भविष्य में पात्रता के योग्य नहीं पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।
14. अभ्यर्थी अपने साथ स्वअभिप्रमाणित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं मूल प्रति साथ लायेंगे।

सिविल सर्जन कार्यालय, गिरिडीह ।

STAFF NURSH (NBSU) के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र

क्रमांक : 06003

आवेदन पत्र संख्या : 09

आवेदक का नाम : श्वेता वर्मा

पिता/पति का नाम : हरिनाथ प्रसाद कुशवाहा

जन्म तिथि : 03.05.1987

पत्राचार का पता : श्वेता वर्मा पति-महेश प्रसाद वर्मा, ग्राम-बलगा,
पोस्ट-खुरजियो, थाना-बिरनी, जिला-गिरिडीह
झारखण्ड पिन-825324

स्वअभिप्रेमाणित फोटो चिपकाएं

लिखित परीक्षा की तिथि: 30.12.2018, समय : 11:30 AM to 12:30 PM

परीक्षा केन्द्र : सर जे0सी0बोस बालिका उच्च विद्यालय, गिरिडीह

निर्गत करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(सिविल सर्जन, गिरिडीह)

आवेदक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थियों के लिए मार्गनिर्देश/सामान्य जानकारी :-

1. परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी।
2. प्रवेश पत्र में अंकित क्रमांक के अनुसार परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के बैठने के लिए सीट आवंटित रहेगी। जहां उनका क्रमांक अंकित रहेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार उन्हें परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करना है।
3. नियत समय से 30 मिनट विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।
4. प्रश्न पत्र वितरण के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थी अपना उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर सकेंगे।
5. परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ के एक घंटे के भीतर अल्प काल के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जायेगा।
6. स्कूल टेस्ट/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र को परीक्षा केन्द्र में साथ लाना अनिवार्य होगा एवं परीक्षा के बाद भी उसे सुरक्षित रखेंगे, साथ ही अपने मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड मूल में लाना सुनिश्चित करेंगे।
8. कैलकुलेटर, मोबाईल फोन एवं इलैक्ट्रॉनिक के सामान को साथ में लाना वर्जित एवं दण्डनीय है।
9. परीक्षा केन्द्र से एक बार बाहर हो जाने पर परीक्षार्थी को पुनः नहीं आने दिया जायेगा।
10. परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक को सौंपेंगे, किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिका डेस्क पर न छोड़ी जाय या न ही उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकाली जाय। उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना और जमा नहीं करना कदाचार माना जायेगा।
11. अभ्यर्थी उपस्थिति पत्र में अपना हस्ताक्षर करेंगे।
12. परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गये परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिये जायेंगे। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों का एक दूसरे से बातचीत करना वर्जित है। कदाचार में लिप्त परीक्षार्थी पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
13. मात्र प्रवेश पत्र का निर्गत होना परीक्षार्थी के पात्रता को सम्पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं करता है। भविष्य में पात्रता के योग्य नहीं पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।
14. अभ्यर्थी अपने साथ स्वअभिप्रेमाणित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं मूल प्रति साथ लायेंगे।

सिविल सर्जन कार्यालय, गिरिडीह।

STAFF NURSH (NBSU) के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र

क्रमांक : 06004

आवेदन पत्र संख्या : 14

आवेदक का नाम : तनूजा कुमारी

पिता/पति का नाम : दयानंद सिंह

जन्म तिथि : 02.06.1995

पत्राचार का पता : ग्राम-सिहोडीह मोर्या कॉलोनी पो-सिरसिया
थाना-गिरिडीह झारखण्ड पिन-815302

लिखित परीक्षा की तिथि: 30.12.2018, समय : 11:30 AM to 12:30 PM

परीक्षा केन्द्र : सर जे0सी0बोस बालिका उच्च विद्यालय, गिरिडीह

स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकाएं

निर्गत करने वाले पदार्थकारी का हस्ताक्षर
(सिविल सर्जन, गिरिडीह)

आवेदक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थियों के लिए मार्गनिर्देश/सामान्य जानकारी :-

1. परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी।
2. प्रवेश पत्र में अंकित क्रमांक के अनुसार परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के बैठने के लिए सीट आवंटित रहेगी। जहां उनका क्रमांक अंकित रहेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार उन्हें परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करना है।
3. नियत समय से 30 मिनट विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।
4. प्रश्न पत्र वितरण के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थी अपना उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर सकेंगे।
5. परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ के एक घंटे के भीतर अल्प काल के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जायेगा।
6. स्कूल टेस्ट/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र को परीक्षा केन्द्र में साथ लाना अनिवार्य होगा एवं परीक्षा के बाद भी उसे सुरक्षित रखेंगे, साथ ही अपने मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड मूल में लाना सुनिश्चित करेंगे।
8. कैलकुलेटर, मोबाईल फोन एवं इलैक्ट्रॉनिक के सामान को साथ में लाना वर्जित एवं दण्डनीय है।
9. परीक्षा केन्द्र से एक बार बाहर हो जाने पर परीक्षार्थी को पुनः नहीं आने दिया जायेगा।
10. परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक को सौंपेंगे, किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिका डेस्क पर न छोड़ी जाय या न ही उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकाली जाय। उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना और जमा नहीं करना कदाचार माना जायेगा।
11. अभ्यर्थी उपस्थिति पत्र में अपना हस्ताक्षर करेंगे।
12. परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गये परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिये जायेंगे। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों का एक दूसरे से बातचीत करना वर्जित है। कदाचार में लिप्त परीक्षार्थी पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
13. मात्र प्रवेश पत्र का निर्गत होना परीक्षार्थी के पात्रता को सम्पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं करता है। भविष्य में पात्रता के योग्य नहीं पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।
14. अभ्यर्थी अपने साथ स्वअभिप्रमाणित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं मूल प्रति साथ लायेंगे।

सिविल सर्जन कार्यालय, गिरिडीह।

STAFF NURSH (NBSU) के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र

क्रमांक : 06005

आवेदन पत्र संख्या : 15

आवेदक का नाम : सपना कुमारी

पिता/पति का नाम : आगीरथ मंडल

जन्म तिथि : 20.03.1994

पत्राचार का पता : सिविल कोर्ट के पूरब तरफ सदर अस्पताल कैम्पस
डॉक्टर क्वार्टर दूसरा मंजिल, गिरिडीह झारखंड 815301

लिखित परीक्षा की तिथि: 30.12.2018, समय : 11:30 AM to 12:30 PM

परीक्षा केन्द्र : सर जे0सी0बोस बालिका उच्च विद्यालय, गिरिडीह

स्वअभिप्रेमाणित फोटो चिपकाएं

निर्गत करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(सिविल सर्जन, गिरिडीह)

आवेदक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थियों के लिए मार्गनिर्देश/सामान्य जानकारी :-

1. परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी।
2. प्रवेश पत्र में अंकित क्रमांक के अनुसार परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के बैठने के लिए सीट आवंटित रहेगी। जहां उनका क्रमांक अंकित रहेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार उन्हें परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करना है।
3. नियत समय से 30 मिनट विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।
4. प्रश्न पत्र वितरण के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थी अपना उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर सकेंगे।
5. परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ के एक घंटे के भीतर अल्प काल के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जायेगा।
6. स्कूल टेस्ट/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र को परीक्षा केन्द्र में साथ लाना अनिवार्य होगा एवं परीक्षा के बाद भी उसे सुरक्षित रखेंगे, साथ ही अपने मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड मूल में लाना सुनिश्चित करेंगे।
8. कैलकुलेटर, मोबाईल फोन एवं इलैक्ट्रॉनिक के सामान को साथ में लाना वर्जित एवं दण्डनीय है।
9. परीक्षा केन्द्र से एक बार बाहर हो जाने पर परीक्षार्थी को पुनः नहीं आने दिया जायेगा।
10. परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक को सौंपेंगे, किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिका डेस्क पर न छोड़ी जाय या न ही उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकाली जाय। उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना और जमा नहीं करना कदाचार माना जायेगा।
11. अभ्यर्थी उपस्थिति पत्र में अपना हस्ताक्षर करेंगे।
12. परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गये परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिये जायेंगे। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों का एक दूसरे से बातचीत करना वर्जित है। कदाचार में लिप्त परीक्षार्थी पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
13. मात्र प्रवेश पत्र का निर्गत होना परीक्षार्थी के पात्रता को सम्पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं करता है। भविष्य में पात्रता के योग्य नहीं पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।
14. अभ्यर्थी अपने साथ स्वअभिप्रेमाणित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं मूल प्रति साथ लायेंगे।